


ACM अमेर म. जयपुर
फर्द अहकाम
 कीटा बनाम काली

यालय
 ब्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
<p>01/2/26</p> <p>5/26</p>	<p>पत्रावली प्रस्तुत (क. फ. उप.) उपर्युक्त का. ता. पेशी पर आवश्यकतय से बहक कर प्रपचा गुणावगुण के माथ्या पर निर्णय किया जावेगा। पत्रावली वापस बहक दिनांक 05/01/26 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर अमेर म. जयपुर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। दी निर्दिष्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा क. फ. रि. किया जाने से पत्रावली पूर्वानु. दिनांक 06/1/26 को पेश हो।</p>
<p>06/2/26</p>	<p>पत्रावली प्रस्तुत (क. फ. उप.) बहक चुकी गई तहसीलदार जालसू जयपुर से प्राप्त कुरैजात के माथ्या पर बाढ़ डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री प्रपक से लिखवाया गया (पत्रावली कैसल शुमार डिक्री दाखिला दफतर हो)</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर अमेर म. जयपुर</p>

न्यायालय :- सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.



नियमित वाद संख्या 89/2020

वाद प्रस्तुति दिनांक : 28.12.2020

शैतान पुत्र गणेश जाति मीणा निवासी ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
..... वादी

बनाम

1. कमली देवी पत्नी गोपीराम जाति मीणा निवासी ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. प्रभात पुत्र गणेश जाति मीणा निवासी ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. लालचंद पुत्र कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. मालीराम पुत्र कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. महेंद्र पुत्र मालीराम जाति मीणा निवासी ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. रामसिंह पुत्र मालीराम जाति मीणा निवासी ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. श्रवण पुत्र कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. कानाराम पुत्र कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
9. भारतीय स्टेट बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा कालाडेरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
10. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबंधक शाखा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।
11. आईसीआईसीआई बैंक लि. जरिये शाखा प्रबंधक शाखा रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
13. उपपंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955

दिनांक 06.01.2026

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि वादीगण ग्राम खपरिया पटवार हल्का दुर्गा का वास तहसील आमेर जिला जयपुर के मूल निवासी है एवं कृषि कार्य कर अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी भूमि ग्राम खपरिया पटवार हल्का दुर्गा का वास, भू अभिलेख नि. क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है जिसके आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 11/1 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 14 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.10000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 19 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2/2 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 20 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रकबा 1.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22


3m2
सहायक कलक्टर
आमेर मू. जयपुर



प्रकरण संख्या - 89/2020
बउनवानी - शैतान बनाम कमली वर्गे0
निर्णय दिनांक :- 06.01.2026

रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.8000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 29 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 30 रकबा 2.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 32 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 34 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 35 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 36 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39/2 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 40/3 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41 रकबा 1.8300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, कुल किता 42 कुल रकबा 15.4600 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1227/15460 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित है तथा शेष हिस्सा अनुसार राजस्व भू अभिलेख प्रतिवादीगण के नाम दर्ज व अंकित है। उक्त कृषि भूमि विवादग्रस्त जो वाद पत्र के मंद नम्बर 2 में वर्णित है उक्त भूमि का वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा संयुक्त खातेदारी भूमि में वादी अपने हिस्से में आई भूमि पर सहधिकार काबिज होकर निरन्तर कब्जा काश्त करता आ रहा है तथा उक्त आराजी भूमि का निरन्तर अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे हैं। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अविभाजित कृषि भूमि है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सेनुसार सामलात में मनबंट के आधार पर कृषि कार्यकर अपने तथा अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं तथा समय समय पर राज्य सरकार को सरकारी लगान जमा करवाते आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्सेनुसार विवादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं लेकिन कुछ समय से जयपुर शहर के आस पास के क्षेत्रों की भूमियों के भाव अचानक बढ़ जाने के कारण कई भू माफिया गिरोह द्वारा बहकाने के कारण प्रतिवादीगण के मन में खोट व लालच उत्पन्न हो गया है वादी ने समय समय पर प्रतिवादीगण से उक्त भूमि का विधिक विभाजन करने हेतू कहता रहा है पूर्व में तो प्रतिवादीगण विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरते रहे परन्तु अब प्रतिवादीगण की नियत में खोट व बदनियती आ गई है इस कारण प्रतिवादीगण उक्त भूमि का बिना विधिक विभाजन करवाये ही उक्त भूमि के विशिष्ट भू भाग पर निर्माण कार्य कर है तथा उक्त भूमि के विशिष्ट भू भाग को बैचान करने पर आमादा फिसाद है। जिसका प्रतिवादीगण को कतई कोई भी हक व अधिकार नहीं है तथा वादी को उक्त आराजी का विभाजन करने के विधिक व कानूनन अधिकार प्राप्त है तथा वादी को अपने विधिक हक व अधिकारों की रक्षा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाना आवश्यक हुआ है। उक्त वादग्रस्त भूमि जो राजस्व रिकार्ड में अविभाजित भूमि है जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 राजस्व रिकार्ड में बिना विधिवत

13/1/2026
सहायक कलेक्टर
जयपुर
आमेर नं. 8/2026



प्रकरण संख्या - 89/2020

पुनर्वानी - शैतान बनाम कमली वगैरे

निर्णय दिनांक :- 06.01.2026

कारण से कतई स्वीकार नहीं है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मनबट के आधार पर आये अपने हिस्से खसरा नम्बरान् में उपयोग उपभोग करके कब्जा काशत करते आ रहे हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या-7 जिस तरह से लिखी गई है कतई स्वीकार नहीं है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या-1 व 2 को अपने कब्जे काशत की भूमि पर उपयोग उपभोग करने का पूर्णाधिकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या-8 जिस तरह से लिखी गई है कतई स्वीकार नहीं है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या-1 व 2 को अपने कब्जे काशत की भूमि पर उपयोग उपभोग करने का पूर्णाधिकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 अस्वीकार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य आपसी मनबट के आधार पर बंटवारा करके अपने अपने हिस्से को डवलप करके उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या-10 अस्वीकार है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में बखूबी साबित है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या-11 अस्वीकार है। अपूर्णय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः, श्रीमान के समक्ष उत्तर याचिका प्रस्तुत की जाती है और अनुरोध किया जाता है कि याचिकाकर्ता की याचिका को अस्वीकार कर दिया जाए।

प्रतिवादी संख्या 12 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की ओर से जवाब दावा पेश कर आपत्ति जताई।

प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई तथा वादी का वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार जालसू जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम खपरिया पटवार हल्का दुर्गा का वास तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 11/1 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 14 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.10000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 19 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2/2 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 20 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रकबा 1.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 24 रकबा 0.8000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 29 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 30 रकबा 2.7200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 32 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 34 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 35 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 36 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.2300 हैक्टेयर,



हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39/2 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 40/3 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41 रकबा 1.8300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, कुल किता 42 कुल रकबा 15.4600 हैक्टेयर. भूमि का कब्जे काश्त के मध्यनजर, कब्जे काश्त के मध्यनजर बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/5148 दिनांक 07.11.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। कुर्रेजात पर कोई आपत्ति पेश नहीं हुई। प्रस्तुत तर्कों के आधार पर वाद तदनुसार तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :-


1. शैतान पुत्र गणेश जाति मीणा, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 12/1 रकबा 0.0054 है., 14 रकबा 0.1773 है., 31 रकबा 0.0900 है., 32 रकबा 0.0100 है., 33 रकबा 0.100 है., 34 रकबा 0.0600 है., 36 रकबा 0.4600 है., 40/3 रकबा 0.4000 है. कुल किता 8 कुल रकबा 1.2127 है. भूमि रहेगी।
2. कमली देवी पत्नि गोपीराम हिस्सा 2187/12127 जाति मीणा ता. देह खातेदार, मीरा देवी पत्नि भागीरथ हिस्सा 2485/12127 जाति मीणा खा देह खातेदार राहिन एस. बी. आई. बैंक शाखा संजयवाडी चौमूं, ममता देवी पत्नी फुलचन्द मीणा हिस्सा 2485/12127 जाति मीणा सा देह खातेदार, रेखा देवी पत्नी सुणाराम मीणा हिस्सा 2485/12127 जाति मीणा सा देह खातेदार, राजू मीणा पत्नी रामपाल मीणा हि. 2425/12127 सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 11/1 रकबा 0.40 है., 14/1 रकबा 0.0827 है., 38 रकबा 0.02 है., 39/2 रकबा 0.22 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.2127 है. भूमि रहेगी।
3. प्रभात पुत्र गणेश जाति मीणा सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 2/2 रकबा 0.63 है., 2 रकबा 0.30 है., 39 रकबा 0.23 है., 27/1 रकबा 0.0527 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.2127 है. भूमि रहेगी।
4. नाबालिग आशा मीणा पुत्री लालचन्द सरक्षक, सरपरस्त मीरा देवी मीणा पत्नी लालचंद मीणा नि. ग्राम कनारपुरा तहसील चोमू हि० 4043/116419 जाति मीणा ला देह खातेदार, कानाराम पुत्र कालूराम हि० 12128/116419 जाति मीणा सा: देह खातेदार, मंजू देवी मीणा महेन्द्रसिंह हि० 20192/116419 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा चौमूं राज., मालीराम पुत्र कालूराम हि० 16170/116419 जाति मीणा सा देह खातेदार राहिन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा रायथल, मोहन लाल पुत्र लालचन्द हि० 4043/116419 जाति मीणा सा. देह खातेदार, रामसिंह पुत्र मालीराम हिस्सा




20192/176419 जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चोमू नाबालिग लक्ष्मी मीणा पुत्री लालचन्द सरंक्षक सरपरस्त मीरा देवी मीणा पनि रुडमल मीणा नि. ग्राम कनारपुरा तहसील चोमू हिसा 4043/116419 जाति मीणा जा: डेह खातेदार, लाडा पत्नि गगल्या हि० 15397/116419 जाति मीणा सा० देह खातेदार, लालचन्द पुत्र कालूराम हि० 4043/ 116419 जाति मीणा सा देह खातेदार, श्रवण लाल पुत्र कालूराम हि० जाति मीणा सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा. 16168/116419 पूर्ण खाता स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कालाडेरा के हिस्से खसरा नंबर 4 रकबा 0.1500 है., 8 रकबा 0.1800 है., 12 रकबा 0.1446 है., 13 रकबा 0.0300 है., 16 रकबा 0.1000 है., 17 रकबा 0.4500 है., 18 रकबा 0.0700 है., 19 रकबा 0.0200 है., 20 रकबा 0.0500 है., 21 रकबा 1.3400 है., 22 रकबा 0.3000 है., 23 रकबा 0.0100 है., 24 रकबा 0.8000 है., 25 रकबा 0.3200 है., 26 रकबा 0.2700 है., 27 रकबा 0.5473 है., 28 रकबा 0.0100 है., 29 रकबा 0.0700 है., 30 रकबा 2.7200 है., 41 रकबा 1.8300 है., 42 रकबा 0.6500 है., 43 रकबा 0.6500 है., 44 रकबा 0.4700 है., 66 रकबा 0.3400 है., 67 रकबा 0.1200 है. कुल किता 25 कुल रकबा 11.6419 है. भूमि रहेगी।

5. मुताबिक जमाबंदी खाता संख्या 132 शामीलाती का हिस्सा खसरा नंबर 10 रकबा 0.03 है., 11/2 रकबा 0.03 है., 35 रकबा 0.04 है., 37 रकबा 0.05 है., 39/3 रकबा 0.03 है. कुल किता 5 कुल रकबा 0.18 है. भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस



नियमित वाद संख्या 89/2020
शैतान पुत्र गणेश जाति मीणा निवासी

वाद प्रस्तुति दिनांक : 28.12.2020

ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।

..... वादी

बनाम

1. कमली देवी पत्नी गोपीराम जाति मीणा निवासी ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. प्रभात पुत्र गणेश जाति मीणा निवासी ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. लालचंद पुत्र कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. मालीराम पुत्र कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. महेंद्र पुत्र मालीराम जाति मीणा निवासी ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. रामसिंह पुत्र मालीराम जाति मीणा निवासी ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. श्रवण पुत्र कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. कानाराम पुत्र कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम खपरिया तहसील आमेर जिला जयपुर।
9. भारतीय स्टेट बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा कालाडेरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
10. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबंधक शाखा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।
11. आईसीआईसीआई बैंक लि. जरिये शाखा प्रबंधक शाखा रायथल तहसील आमेर जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
13. उपपंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:-

1. शैतान पुत्र गणेश जाति मीणा, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 12/1 रकबा 0.0054 है., 14 रकबा 0.1773 है., 31 रकबा 0.0900 है., 32 रकबा 0.0100 है., 33 रकबा 0.100 है., 34 रकबा 0.0600 है., 36 रकबा 0.4600 है., 40/3 रकबा 0.4000 है. कुल कित्ता 8 कुल रकबा 1.2127 है. भूमि रहेगी।
2. कमली देवी पत्नी गोपीराम हिस्सा 2187/12127 जाति मीणा ता. देह खातेदार, मीरा देवी पत्नी भागीरथ हिस्सा 2485/12127 जाति मीणा खा देह खातेदार राहिन एस. बी. आई. बैंक शाखा संजयवाडी चौमूं, ममता देवी पत्नी फुलचन्द मीणा हिस्सा 2485/12127 जाति मीणा सा देह खातेदार, रेखा देवी पत्नी सुणाराम मीणा हिस्सा 2485/12127 जाति मीणा सा देह खातेदार, राजू मीणा पत्नी रामपाल मीणा हि. 2425/12127 सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 11/1 रकबा 0.40 है., 14/1 रकबा 0.0827 है., 38 रकबा 0.02 है., 39/2 रकबा 0.22 है. कुल कित्ता 4 कुल रकबा 1.2127 है. भूमि रहेगी।

सहायक जज
आमेर जिला जयपुर



सहायक पुत्र नमेश जाति नीगा सा देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 2/2 रकबा 0.63 है,
2 रकबा 0.30 है, 39 रकबा 0.23 है, 27/1 रकबा 0.0327 है, कुल कित्ता 4 कुल रकबा
1.2127 है. भूमि रहेगी।

नाबालिग आशा नीगा पुत्री लालचन्द सरसक, सरसस्त नीरा देवी नीगा पत्नी लालचंद
नीगा नि. ग्राम कनारपुरा तहसील चोनू हि० 4043/116419 जाति नीगा ला देह खातेदार,
कनाराम पुत्र कालूराम हि० 12128/116419 जाति नीगा सा: देह खातेदार, मंजू देवी
पत्नी नहेन्द्रसिंह हि० 20192/116419 जाति नीगा सा. देह खातेदार राहिन एच.डी.एफ.सी.
बैंक लिमिटेड शाखा चोनू राज, नालीराम पुत्र कालूराम हि० 16170/116419 जाति नीगा
सा देह खातेदार राहिन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा रायथल, मोहन लाल पुत्र
लालचन्द हि० 4043/116419 जाति नीगा सा. देह खातेदार, रामसिंह पुत्र नालीराम हिस्सा
20192/176419 जाति नीगा सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चोनू
नाबालिग लक्ष्मी नीगा पुत्री लालचन्द सरसक सरसस्त नीरा देवी नीगा पनि रुडनल नीगा
नि. ग्राम कनारपुरा तहसील चोनू हिस्सा 4043/116419 जाति नीगा जा: देह खातेदार,
लाडा पति गगत्या हि० 15397/116419 जाति नीगा सा: देह खातेदार, लालचन्द पुत्र
कालूराम हि० 4043/ 116419 जाति नीगा सा देह खातेदार, श्रवण लाल पुत्र कालूराम
हि० जाति नीगा सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा. 16168/116419 पूर्ण खाता स्टेट बैंक
आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कालाडेरा के हिस्से खसरा नंबर 4 रकबा 0.1500 है., 8
रकबा 0.1800 है., 12 रकबा 0.1446 है., 13 रकबा 0.0300 है., 16 रकबा 0.1000 है., 17
रकबा 0.4500 है., 18 रकबा 0.0700 है., 19 रकबा 0.0200 है., 20 रकबा 0.0500 है., 21
रकबा 1.3400 है., 22 रकबा 0.3000 है., 23 रकबा 0.0100 है., 24 रकबा 0.8000 है., 25
रकबा 0.3200 है., 26 रकबा 0.2700 है., 27 रकबा 0.5473 है., 28 रकबा 0.0100 है., 29
रकबा 0.0700 है., 30 रकबा 2.7200 है., 41 रकबा 1.8300 है., 42 रकबा 0.6500 है., 43
रकबा 0.6500 है., 44 रकबा 0.4700 है., 66 रकबा 0.3400 है., 67 रकबा 0.1200 है. कुल
कित्ता 25 कुल रकबा 11.6419 है. भूमि रहेगी।

5. मुताबिक जमाबंदी खाता संख्या 132 शानीलाती का हिस्सा खसरा नंबर 10 रकबा 0.03 है.,
11/2 रकबा 0.03 है., 35 रकबा 0.04 है., 37 रकबा 0.05 है., 39/3 रकबा 0.03 है. कुल
कित्ता 5 कुल रकबा 0.18 है. भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री
का अमिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से
पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही
करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


वसख्त मेरे दस्तख्त वं मुहर अदालत से आज तारीख 06.01.2025 को जारी किया।

दस्तखत—
ओहदा—

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

प्रकरण संख्या - 89/2020
बउनवानी - शैतान बनाम कमली बगौ0
निर्णय दिनांक :- 06.01.2026

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	2 रुपये 2 रुपये 4 रुपये	-	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	2 रुपये 2 रुपये 4 रुपये	-



Bm
सहायक कलक्टर
आमेर मू. जयपुर